क्रम-संख्या 182

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार 14 नवम्बर, 2025
कार्तिक 23, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग–2

संख्या 1154ई-2 / तेरह-2025-8-95टी0सी0-367370
लखनऊ, 14 नवम्बर, 2025

अधिसूचना

सा०प०नि०–66

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 40 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 129/तेरह-204, दिनांक 13 मार्च, 1931 द्वारा प्रकाशित विकृत स्प्रिट के आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखने से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना नियमावली, 1931 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थातः–

उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 13(क) का बढ़ाया जाना

2–(समय–समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या 129/तेरह–204, दिनांक 13 मार्च, 1931 द्वारा प्रकाशित विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखने से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना नियमावली, 1931 में नियम 13 के पश्चात निम्नलिखित नया नियम 13 (क) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः–

नियम–13 (क)–(1) राज्य में उत्पादित एवं राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा के विनिर्माण में प्रयुक्त एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) के क्रय हेतु क्रय करने वाली पी0डी0–1/2 लाइसेन्सधारक आसवनी अथवा पी0डी0–33 लाइसेन्स के अधीन क्रियाशील एफ0एल0–3/सी0एल0 बी0–1 लाइसेन्सी को आबकारी विभाग के पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(2) आवेदक को निम्नलिखित दरों/ब्योरों के अनुसार क्रय किये गये ई0एन0ए0 के लिये विशेष परमिट फीस का भुगतान करना होगा:–

(क) राज्य के भीतर विदेशी मदिरा के निर्माण में प्रयुक्त ई0एन0ए0 की बिक्री के लिए रु0 1.50 (एक रुपया पचास पैसे मात्र) प्रति बल्क लीटर।

(ख) राज्य के भीतर देशी मदिरा के निर्माण में प्रयुक्त ई0एन0ए0 की बिक्री के लिए रु0 1.00 (एक रुपया मात्र) प्रति बल्क लीटर।

(3) पूर्वोक्त विशेष परमिट फीस आसवनी के भीतर प्रचालित एफ0एल0–3ए एवं सी0एल0बी0–2 लाइसेंसों के उपयोगार्थ आसवनी द्वारा विक्रय/अन्तरित ई0एन0ए0 पर भी लागू होगी।

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
अपर मुख्य सचिव।

———

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1154E-2/XIII-2025-8-95 TC-367370, dated November 14, 2025:

No. 1154E-2/XIII-2025-8-95 TC-367370

Dated Lucknow, *November* 14, 2025

IN exercise of the powers under sub-section (1) and clause (d) of sub-section (2) of Section 40 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U. P. Act No. 4 of 1910) *read* with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Excise Import, Export, Transport and Possession of Denatured Spirit Rules, 1931 relating to the import, export, transport and possession of denatured spirit published *vide* notification no. 129/XIII-204, dated March 13, 1931, as amended from time to time, namely:-

THE UTTAR PRADESH EXCISE IMPORT, EXPORT, TRANSPORT AND POSSESSION OF DENATURED SPIRIT

(TWENTY-SIXTH AMENDMENT) RULES, 2025

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Excise Import, Export, Transport and Possession of Denatured Spirit (Twenty-Sixth Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force with the effect from the date of their publication in the Official *Gazette.*

Insertion of rule 13-A

2. In the Uttar Pradesh Excise Import, Export, Transport and Possession of Denatured Spirit Rules, 1931 relating to import, export, transport and possession of denatured spirit published *vide* notification no. 129/XIII-204, dated March 13, 1931 (as amended from time to time) after rule 13, the following new rule 13-A shall be *inserted,* namely:-

"Special permit fees on E.N.A. for manufacture of IMFL & Country Liquor in Uttar Pradesh".

13-A. (1) For purchase of Extra Neutral Alcohol (E.N.A.) produced in the State and used in the manufacture of country and foreign liquor in the State, the PD-1/2 License holder purchasing distillery or the FL-3/CLB-1 licensee operating under the PD-33 license shall submit an application on the portal of the Excise Department.

(2) The applicant shall have to pay the special permit fee for the E.N.A. purchased according to the following rates/details:-

(a) for the sale of E.N.A. used in the manufacture of foreign liquor within the State-Rs. 1.50 (Rupee one and paise fifty only) per bulk litre ;

(b) for the sale of E.N.A. used in the manufacture of country liquor within the State - Rs. 1.00 (Rupee one only) per bulk litre.

(3) The aforesaid special permit fee shall also be applicable on E.N.A. sold/transferred by the distillery for the use of F.L.-3A and C.L.B.-2 licences operated within the distillery. "

By order,
VEENA KUMARI,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी–ए0पी0 239 राजपत्र–2025–(733)–599+25=624 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।